प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 28 फरवरी, 2025*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी पिन्टू शुक्ला पुत्र श्री मुनीन्द्रनाथ शुक्ला, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-1683/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-15-11-2022, दिनांक 18.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी पिन्टू शुक्ला पुत्र श्री मुनीन्द्रनाथ शुक्ला, बवना, थाना-नवाबगंज, जनपद-फर्रूखाबाद हाल, पता-जिला कारागार आवासीय परिसर कालोनी थाना-कोतवाली, जनपद कानपुर नगर का निवासी है। कुत्ता व बकरी द्वारा गंदगी फैलाने के विवाद को लेकर दिनांक 16.03.2003 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-09/2004, 11/2004 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149, 504 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-06, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 16.12.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.10.2021 तक अपरिहार 17 वर्ष 11 माह 17 दिन तथा 22 वर्ष 01 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद द्वारा अपनी आख्या में समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा भविष्य में कोई भी अप्रिय घटना घटित करने की संभावना होने, बंदी शारीरिक रूप से सशक्त होने, पुन: अपराध करने की संभावना होने, दोनो पक्षों के मध्य पुरानी रंजिश विद्यमान होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की उम्र 47 वर्ष, बन्दी द्वारा कारित जघन्य अपराध की प्रकृति (03 व्यक्तियों की हत्या) तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी पिन्टू शुक्ला (बन्दी संख्या-628/2016) पुत्र श्री मुनीन्द्रनाथ शुक्ला, निवासी जनपद-कानपुर नगर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-206/2025/591(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।